

2.आधोनियम

पा.सा एक्ट

धाराए 7 पा.सा एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं -----

(क) घटना का दिन शुक्रवार दिनांक से दिनांक 08.04.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 08.04.2016

समय 3.25 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ)

(प्राविष्टि संख्या)

समय 3.30 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैषल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थान का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) पश्चिम

(ख) पता : बदरोला

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) थाना पटौदी जिला गुडगांव।

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :-

(क) नाम : हरकेश राजपूत

(ख) (पिता/पति का नाम) श्री राम कुमार सिंह

(ग) (जन्म तिथि)

(घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं०

(जारी करने की तिथि)

(जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) खेती बाडी

(पता) हरकेश राजपूत पुत्र श्री राम कुमार निवासी जसात थाना पटौदी जिला गुडगांव

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

ACP, पटौदी श्री नारायण सिंह

इस समय एक तहरीर हस्ताक्षरी उप पुलिस अधिक्षक श्री जय बीर सिंह, राज्य चौकसी ब्यूरो, गुडगांव बदस्त ASI फजरखान 1371/गुडगांव थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार है सेवा में सेवा मे DSP साहब SVB गुडगांव (HR) विषय- मुकदमा न० 51 तारीख 08.02.16 U/s 323, 506. 34 IPC PS पटौदी के सम्बन्ध मे रिश्त मांगने बारे बर खिलाफ ACP पटौदी श्री नारायण सिंह श्रीमान जी, मैं हरकेश राजपूत S/o श्री राम कुमार सिंह निवासी जैसात डाकघर जसात तहसील पटौदी जिला गुडगांव का स्थाई निवासी हूँ।



व चाचा का नाम निकालने के बदले रिश्वत बैलंकिट (मोटी कारलो डबल रोड व 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है व न दिये जाने पर सबको बंद करने की धमकी देता है। 4. जो कि रिश्वत देने के खिलाफ हूँ जो इस रिश्वतखौर ACP ने अपने दलाल बना रखे है और कल दिनांक 07.04.16 को समय करीब 5:12 पर इनकमिंग काल न0 9999981817 से मेरे Mobile 9466307505 पर आया और मुझे बेंकीट (मोटी कारलो) डबल सेट का कलर बारे बताया जो आज मुझे कम्बल और पैसे देने बारे ACP साहब के सरकारी आफिस लेने देने कारे लाया है। कृप्या सख्त से सख्त कार्यवाही करने का कष्ट करे मै रिश्वत देना नही चाहता मेरी कोई लेना देना ACP साहब से और नही कोई रंजिश है हस्ता अग्रेजी हरकेस पुत्र राम कुमार मो0 न0 9991837498 PTO कार्यवाही पुलिस आज मन DSP मय स्टाफ के SVB office GGN में मौजूद हू कि हरकेस राजपूत पुत्र श्री राम कुमार R/o जसात PS पटौदी ने अपने साथी नरेन्द्र पुत्र नथीराम जाति जांगडा निवासी गुमाना थाना फरुखनगर के साथ हाजिर कार्यालय आकर उक्त लिखित दरखास्त बाबत श्री नारायण सिंह, ACP पटौदी द्वारा मु0न0 51/16 धारा 323/506/34 भा0द0स0 थाना पटौदी में से मुदई के परिवार वालो को निकालने की एवेज में 20,000/रु व एक कम्बल बतौर रिश्वत मांगने बारे पेश की है जो मजबून दरखास्त पर सरेदस्त जुर्म 7 पी0सी0 एक्ट का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त ASI फजरखान 1371/गुडगांव अरसाल है। नामजद आरोपी राजपत्रित अधिकारी है इसलिये रैड करने की D.G.मुख्यालय से बजरिया टेलिफोन अनुमति लाई जा चुकी है मन DSP ने एक रैडिंग पार्टी गठित की जिसमें निरीक्षक कृष्ण कुमार, उप निरीक्षक रामबीर सिंह, EASI सुनील 917/गुडगांव, ASI सतबीर सिंह 627/नारनौल, ASI महाबीर सिंह 4/31, DVR सिपाही सन्दीप कुमार को शामिल करके बराये लेने अनुमति कराने नियुक्त ड्यूटि मैजिस्ट्रेट रवाना कार्यालय उपायुक्त मोहदय गुडगांव का गाडी न0 HR 55 J 0333 से होता हूँ। स्पैशल रिपोर्ट बजरिया स्पैशन वाहक के इलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरानबाला को भिजवाई जावे। हस्ता अग्रेजी जयवीर सिंह, उप पुलिस अधिक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरिणा दिनांक 08.04.2016 समय 3.20 पी0एम0 अज थाना SVB GGN अज थाना :- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया एफ.आई.आर की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरान बाला नियम अनुसार भेजी जावेगी। एक प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब बदस्त ASI फजरखान न0 1371/गुडगांव भेजी जा रही है। असल मिसल पुलिस मस आमदा तहरीर मौका पर पहंचने हेतु आरिन्दा ASI के हवाले की गई।

AH/eecl.





हस्ता अग्रेजी/- जयभान

थाना प्रभारी का नाम

नाम : जयभान

पद : निरीक्षक

सख्यां : 295/गुडगांव

दिनांक 08.04.2016 समय 5.00 पी.एम